विधान परिषद के तृतीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–6 का उत्तर।

प्रश्न — उत्तर

6–(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को सभी कक्षा की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती हैं?

जी नहीं।
समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूति योजनान्तर्गत रू0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता–पिता/अभिभावक के पात्र एवं नियमावली के अनुसार सही डाटा वाले छात्रों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान की जाती है।

(ख) यदि हॉ, तो शिक्षा सत्र 2022–2023 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (40% राज्यांश/60% केन्द्रांश) एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूति योजनान्तर्गत (25% राज्यांश/75% केन्द्रांश) आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

योजना	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)
दशमोत्तर छात्रवृत्ति	4000.00	88000.00

उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि समुचित है।

(ग) क्या पर्याप्त धनराशि के अभाव में कुछ छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई है?

जी नहीं।
अनुसूचित जाति दशमोत्तर योजनान्तर्गत शैक्षणिक भत्ते एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्मिलित धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य स्तर से तथा 60 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा सीधे छात्रों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्गत समय–सारिणी के अनुसार भुगतान किये जाने की व्यवस्था है तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर योजनान्तर्गत शैक्षणिक भत्ते एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्मिलित धनराशि का 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में तथा 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। प्राविधानित धनराशि समुचित है।

(घ) यदि हॉ, तो पर्याप्त धनराशि आवंटित कर पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति करायेंगे?

प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) यदि हॉ, तो कब तक?

उपरोक्तानुसार।

(च) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्व0प्र0)।